न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 175/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती निर्मला पत्नी बस्तीसिह जाति रावणा राजपूत निवासी मकान नंबर 88, बलदेव नगर मसूरिया जोधपुर जिला जोधपुर		1– हनुमानराम पुत्र वगताराम 2– श्रीमती चंपादेवी पत्नी हुनमानराम जातियान विश्नोई निवासीगण गांव सदरी तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 3– प्रेमसिह पुत्र अमृतसिह जाति राजपूत निवासी खीचन तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 4– तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2019 जिसे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 36/2017 अनवान हनुमानराम वगैरा बनाम प्रेमसिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री देवी सिह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मनोहर लाल पालीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– श्री सचिन कच्छवाहा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
4– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उसमे उल्लेख किया कि उनके संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 37/4 रकबा 35.13 बीघा तथा खसरा नंबर 43 रकबा 4.07 बीघा कुल 40 बीघा भूमि ग्राम कानासरिया तहसील बाप हाल फलोदी मे आई हुई है । प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उक्त खातेदारी के खेत की पैमाईश तहसीलदार बाप के आदेश दिनांक 7–5–2015 की पालना मे दिनांक 22–6–2016 को रूबरू मौतबिरान के की जाकर फर्द मौका तैयार की जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत कर आगे उल्लेख किया कि प्रार्थीगण उक्त पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 22–6–2016 के अनुसार अपने खातेदारी खेत की तारबंदी के लिए खुटे रोपने लगे तो उक्त खसरान के दक्षिणी पूर्वी के पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर आये और प्रार्थीगण से विवाद करने लगे और प्रार्थीगण को खुंटे नही रोपने दिये । जिस पर तहसीलदार बाप से निवेदन करने पर पत्थरगढी किये जाने बाबत सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु कहे जाने पर प्रार्थीगण ने

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पत्थरगढी करवाते समय शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थानाधिकारी फलोदी को पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने के भी आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 31–7–19 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित है । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया । अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्थरगढी बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे दिनांक 22–6–16 की पैमाईश फर्द के अनुसार दिनांक 25–6–17 को पत्थरगढी मे बाधा उत्पन्न होना बताया तो उनके द्वारा चार वर्ष तक कोई कार्यवाही क्यो नही की । यदि मौके पर विवाद होता तो अवश्य ही कोई कार्यवाही करते इससे यह स्पष्ट है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद ही नही था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां उपरोक्त वर्णित 88, बलदेव नगर मसूरिया जोधपुर के पते पर ही निवास करती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थियां के नाम का रजिस्टर्ड नोटिस खींचन तहसील फलोदी के पते पर भेजा तथा यह भी कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 प्रेम सिह पुत्र अमृत सिह जाति राजपूत निवासी खीचन कोई पडोसी खातेदार ही नही है फिर भी उसे पक्षकार बनाकर रजिस्ट्री रसीद से उसे तामिल मानते हुए एकतरफा आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थियां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नियुक्त नही किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थियां की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिह चौहान की ओर से अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई तथा उनके उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होमे से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि किसी भी खातेदार की कृषि भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी करते समय पडौसी समस्त खातेदारो की भूमि का भी सीमांकन करना आवश्यक है तथा सभी पडौसी खातेदारान को पत्थरगढी की कार्यवाही मे पक्षकार बनाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद ही पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे न तो अपीलांट के नोटिस सही पते पर भेजकर तामिल कराये बिना अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे

संभागीय आयुक्त

पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट को पक्षकार बनाया गया था तथा राजस्व अभिलेख मे दर्ज पते पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका पर अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत की है अर्थात अपीलांट को नोटिस जारी होने की जानकारी तो हो गई थी तभी उनकी ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत की थी इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि उन्हे नोटिस नही दिया गया हो ।

इसके अलावा रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकार रखता है इसी के तहत रेस्पो0 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे विधिवत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी कर जवाब का अवसर देने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से किसी अन्य पडौसी खातेदार की ओर से कोई आपत्ति नही की गई अर्थात मौके पर सीमा को लेकर कोई विवाद ही नही है परंतु अपीलांट जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर रहे है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2019 मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम कानासरिया पटवार मण्डल ननेउ तहसील फलोदी के खसरा नंबर 37/4 रकबा 35.13 बीघा तथा खसरा नंबर 43 रकबा 4.07 बीघा कुल 40 बीघा भूमि की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि विधिवत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111 व 128 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाकर उनके रेकर्ड में उल्लेखित पते पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने पर वर्तमान अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति भी दी है परंतु उनकी ओर से कोई जवाब अथवा बहस नही करने पर एकतरफा आदेश पारित किया है इसलिए

न्यायालय की कार्यवाही मे अब उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसकी आदेशिका एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उनके संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 37/4 रकबा 35.13 बीघा तथा खसरा नंबर 43 रकबा 4.07 बीघा कुल 40 बीघा भूमि ग्राम कानासरिया की पत्थरगढी पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 22–6–2016 के माफिक करवाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2019 के द्वारा उक्त खातेदारी की भूमि की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 31–7–19 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे गलत पता का उल्लेख कर उस पते पर बिना किसी आदेश के रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर रजिस्ट्री रसीद के आधार पर तामिल मानकर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा यह भी कथन किया कि उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी नियुक्त नही किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता की अण्डरटेकिंग दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर दिया जो अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया हुआ होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 जो आवेदक के खातेदारी खेत के पडौसी होने से उनको पक्षकार बनाया गया था तथा राजस्व अभिलेख मे दर्ज उनके पते पर अधीनस्थ न्यायालय से रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका पर अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत की है अर्थात वर्तमान अपीलांट को नोटिस जारी होने की जानकारी तो हो गई थी तभी उनकी ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत की थी इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि उन्हे नोटिस नही दिया गया हो ।

इसके अलावा विधि के प्रावधान अनुसार कोई भी खातेदार अपने खातेदारी की

कोई उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही करने पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम कानासरिया पटवार मण्डल ननेउ तहसील फलोदी के खसरा नंबर 37/4 रकबा 35.13 बीघा तथा खसरा नंबर 43 रकबा. 4.07 बीघा कुल 40 बीघा भूमि की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर